कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर

पत्रांकः 147 / प–12 / फा0स0 / बु0शहर / 2020 दिनांकः05–मार्च–2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(शस्त्र) /
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
बुलन्दशहर।

विषयः– भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भूमि गाटा संख्या–1233, स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराने से सम्बन्धित।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक:239(3) / शस्त्र लिपिक–द्वितीय दिनांक 14–02–2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भूमि गाटा संख्या–1233, स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, (सिकन्द्राबाद–बुलन्दशहर रोड) तहसील व थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में 20 के0एल0 एच0एस0डी0 (डीजल) व 15 के0एल0 एम0एस0 (पेट्रोल) के अण्डरग्राउण्ड भण्डारण क्षमता का एक नवीन रिटेल आउटलेट लगाये जाने वाले प्रस्तावित स्थल का आपके पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिकन्द्राबाद श्री संजीव कुमार यादव द्वारा दिनांक:02–03–2020 को कर अपनी संस्तुति आख्या उपलब्ध करायी तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

01. प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते है।
02. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से वर्तमान में कोई हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

01. समपूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–1646:2015 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0 / ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
02. टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाईप का प्राविधान किया जाये, जो आपस में जुडी नही होनी चाहिए एंव ऊचाई कम से कम 04 मी0 होनी चाहिए।
03. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2007 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
04. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
05. लारी से टैंक में तेल भरते समय उचित अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
06. स्टोरेज टैंक के पास 12 अद्द फायर बकेट न्यूनतम 09 ली0 क्षमता की बालू से भरी हुई स्टैण्ड पर रखी जाये।
07. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर 2 अद्द क्षमता 0 कि0ग्रा0 एवं समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा में रखा जाना अनिवार्य होगा एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा।
08. प्रत्येक डीजल जरनेटर सेट के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 2 अदद क्षमता 9 ली0 के रखे जाये।

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)
05/08/2020

08/8/2020
एम. ब्रहमा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा कैसरगंज मेरठ

09. सम्पूर्ण परिसर की अग्नि सुरक्षा हेतु क्षमता 50 के0जी0 के ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर (ट्राली माउन्टेड) 02 अद्द कार्यशील दशा में रखा जाना आवश्यक होगा।

10. लाइसेन्स एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

11. प्रत्येक डिस्पेन्सर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

12. आपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।

13. पेट्रोल पम्प पर धुम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।

14. आपातकालीन विभाग के टेलीफोन नंम्बर का बोर्ड सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

निम्नांकित का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करे	क्या न करें
1–तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद रखें। 2–मोबाइल फोन बन्द रखे। 3–सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए है। 4–तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	1–वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जाये। 2–धूम्रपान न करें। 3–खुली आग का प्रयोग न करें। 4–लारी से टैंक में तेल भरते समय वाहनो में तेल न भरे।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को दृष्टिगत रखतें हुए पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव PESO विभाग द्वारा निर्गत आदेशो का अनुपालन किये जाने की शर्तो के अधीन उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किये जाने तथा **सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत प्रोविजनल हेतु आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।**

अतएव उपरोक्त शर्तो के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भूमि गाटा संख्या–1233, स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, (सिकन्द्राबाद–बुलन्दशहर रोड) तहसील व थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में 20 के0एल0 एच0एस0डी0 (डीजल) व 15 के0एल0 एम0एस0 (पेट्रोल) के अण्डरग्राउण्ड भण्डारण क्षमता का एक नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–मानचित्र

...मार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)
05/08/2020

05/03/2020

(जे0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर

प्रतिलिपिः–

01. अग्निशमन अधिकारी सिकन्द्राबाद का आग्रम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

...8/2020
एम. ब्रहमा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ (उ0प्र0)